न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या– अपील डिक्री/टीए/5735/2002/बारां

1– अमृतलाल पुत्र भंवरलाल जाति मीणा निवासी, सरकन्या मूण्डला तहसील मांगरोल जिला बारां।

–अपीलांट

बनाम

1– मूर्ति मंदिर श्री कल्याणराय जी विराजमान बारां जरिए व्यवस्थापक एवं पुजारी नन्दलाल पुत्र राधा किशन ब्राह्मण निवासी बारां।

2– जगन्नाथ पुत्र माधो मीणा मृतक जरिए वारिसानः–

2/1– भवानीशंकर

2/2– मोहनलाल

2/3– जगन्नाथी बेवा जगन्नाथ

समस्त जाति मीणा, निवासी सरकन्या मूण्डला, तहसील मांगरोल, जिला बारां।

–रेस्पोडेन्ट्स

खण्डपीठ

श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः–

श्री यज्ञदत्त शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट।

श्री एस0पी0 ओझा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1

रेस्पो0 संख्या 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः– 13.02.2025

अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील संख्या 131/2001 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.09.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं।

2— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से नन्दलाल द्वारा जरिये पुजारी एवं व्यवस्थापक एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 183 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत न्यायालय उप जिला कलक्टर, बारां के न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम मूण्डला में वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 229 रकबा 28 बीघा 5 बिस्वा है, जिस पर अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है। अतः उन्हें बेदखल कर कब्जा दिलवाया जाए, जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.05.90 द्वारा वाद स्वीकार करते हुए वर्तमान अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किए। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर वर्तमान अपीलांट ने प्रथम अपील न्यायालय भू—प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष पेश की जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.09.2002 द्वारा खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश की है।

3— हमनें उपभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी ।

4— अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पो0 का वाद एकतरफा में डिक्री किया गया है जबकि अपीलार्थी को वाद में नोटिस नहीं दिया गया एवं बिना अपीलार्थी को सुने ही वादी का वाद डिक्री कर दिया जो काबिल निरस्तनीय है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अपीलीय न्यायालय के समक्ष दौराने अपील जगन्नाथ की मृत्यु हो गई थी तथा अपीलार्थी द्वारा उसके कायम मुकाम की कार्यवाही भी कर दी गई तथा संशोधित शीर्षक भी प्रस्तुत कर दिया गया, इसके बावजूद भी अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय के शीर्षक में कायम मुकाम का नाम अंकित न कर जगन्नाथ का नाम अंकित कर निर्णय करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। अपीलीय न्यायालय ने अपना संपूर्ण निर्णय मियाद के बिन्दु पर आधारित किया है तथा अंतिम पंक्ति में यह भी अंकित कर दिया

कि अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है जबकि अपीलीय न्यायालय ने अपील के गुणावगुण पर विवेचन ही नहीं है, जिससे अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.09.2002 एवं न्यायालय उप जिला कलक्टर, बारां द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.05.90 को निरस्त किया जावें।

5– विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अपीलांट ने विचारण न्यायालय द्वारा की गई एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त करवाने हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष कोई चाराजोही न कर सीधे ही अपील पेश की है। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि पर देवस्थान विभाग का कब्जा है, जो प्रतिवर्ष के मुनाफे के आधार पर काश्त करवा रहा है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत निर्णय व डिक्री पारित की है, जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावें ।

6– हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों व डिक्री का अवलोकन किया ।

7– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1/वादी ने न्यायालय उप जिलाधीश, बारां के समक्ष वर्तमान अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 के विरूद्ध वाद अंतर्गत धारा 183 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर कथन किया कि ग्राम मूण्डला, तहसील मांगरोल में मूर्ति माफी मंदिर श्री कल्याण राय जी विराजमान, बारां के खाते की आराजी खसरा नंबर 229 रकबा 28 बीघा 5 बिस्वा स्थित है जिसमें 14 बीघा 3 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 अमृतलाल ने तथा प्रतिवादी संख्या 2 जगन्नाथ ने 14 बीघा 2 बिस्वा भूमि पर अवैधानिक एवं अनाधिकृत कब्जा कर लिया है । अतः वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को विवादित आराजी से बेदखल किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को

जरिये सम्मन तलब किया किन्तु प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 01.06.1988 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई । तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 21.05.1990 को वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद डिक्री कर प्रतिवादीगण को विवादित आराजियात का कब्जा वादी को दिलाये जाने तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया । विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1/अपीलांट द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष 12 वर्ष की भारी मियाद बाहर अपील पेश की जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 21.05.1990 के द्वारा मियाद तथा गुणावगुण के आधार पर खारिज किया गया । इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2034 से 2037 प्रदर्श–1 के कॉलम संख्या 4 में विवादित भूमि खसरा नंबर 229 रकबा 28 बीघा 5 बिस्वा रिज्यूम माफी श्री कल्याण राय जी विराजमान बांरा उपकृषक लख्मीचंद पुत्र भोलू व लक्खू पुत्री भोलू व विशनी बेवा भोलू हि0 बराबर मीना का इंद्राज दर्ज है । जिससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि मूर्ति मंदिर श्री कल्याण राय जी की खातेदारी की आराजियात है । जिस पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत कब्जा किये जाने पर खातेदार बेदखली तथा स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है । जहां तक अपीलांट का यह कथन कि अपीलीय न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 2 जगन्नाथ की मृत्यु होने पर उसके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाकर संशोधित शीर्षक पेश कर दिये थे किन्तु निर्णय के उनवान में जगन्नाथ के वारिसान का नाम अंकित नहीं किया गया है जिससे निर्णय निरस्तनीय है । इस संबंध में अपीलीय न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा मृतक जगन्नाथ के वारिसान को रजिस्टर्ड नोटिस भिजवाये गये थे जो बाद तामील न्यायालय को प्राप्त हुए है। केवल मात्र निर्णय के शीर्षक उनवान में मृतक के वारिसान का नाम अंकित नहीं होने से निर्णय के गुणावगुण पर कोई विपरीत असर नहीं होता है । जहां तक विचारण न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही करने का प्रश्न है, विचारण न्यायालय द्वारा जारी नोटिस जगन्नाथ ने स्वयं प्राप्त किए है तथा विचारण न्यायालय की आदेशिका में दिनांक 06.04.88 को प्रतिवादी अमृतलाल ने उपस्थिति बाबत् हस्ताक्षर किए हुए हैं, उसके बाद उनके उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। इस संबंध में अपीलांट को विचारण न्यायालय के समक्ष एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त कराने हेतु आदेश 9 नियम 13

जा0दी0 के तहत कार्यवाही करनी चाहिये थी जो उनके द्वारा नहीं की गई है । विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है, जिसकी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सही रूप से पुष्टि की है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें बिना किसी ठोस आधार के हस्तक्षेप किया जाना हम द्वितीय अपील के स्तर पर उचित नहीं समझते है ।

8— उक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों व डिक्री में किसी प्रकार की कोई विधिक या क्षेत्राधिकार संबंधी कोई त्रुटि नहीं होने से तथा राजस्व रिकार्ड अपीलांटस के पक्ष में नहीं होने से द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । ऐसी स्थिति में यह अपील स्वीकार योग्य नहीं पायी जाती है ।

09— परिणामतः **अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है** । भू—प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.09.2002 एवं न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बारां द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.05.1990 यथावत रखे जाते है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामदयाल मीणा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष